

# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya (संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय) (A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह कार्यकारी कुलसचिव PROF. KRISHNA KUMAR SINGH ACTING REGISTRAR

द्रभाष/Phone : +91-7152-230902 फैक्स/Fax :+91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / केपीजी / 10(1-3) / 2019

दिनांक: 16/04/2019

## अधिसूचना

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के अधिनियम 1996 (1997 का 3) के परिनियम—12(1)(v) के प्रावधान के तहत माननीय कुलपित द्वारा विश्वविद्यालय की कार्य—परिषद में प्रो. मनोज कुमार, अधिष्ठाता, विधि विद्यापीठ को, चक्राधार पर एवं वरिष्ठतानुक्रम में तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष अथवा उनकी अधिष्ठाता के रूप में अविधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिए सदस्य नियुक्त किया जाता है।

(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रति

प्रो. मनोज कुमार अधिष्ठाता विधि विद्यापीठ म गां.अं.हि.वि. वर्धा

### प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :

- 1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भूवन, नई दिल्ली—110001
- 2. संयुक्त सचिव, (के.वि.) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली—110001

3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली—110002

- 4. श्री विजय कुमार, अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन नई दिल्ली—110001
- कार्य-परिषद के समस्त सदस्यगण

6. कुलपति कार्यालय

- समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक एवं क्षेत्रीय केंद्र प्रभारी
- स्थापना एवं प्रशासन विभाग
- 9. विश्वविद्यालय वेबसाइट
- 10. संबंधित पत्रावली।



## महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya (संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह कार्यकारी कुलसचिव PROF. KRISHNA KUMAR SINGH ACTING REGISTRAR

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902 फैक्स/Fax :+ 91-7152-247602

No. 003/2003/KPG/10(1-3)/2019

Date: 16/04/2019

#### NOTIFICATION

In exercise to the powers conferred under statute-12(1) (V) of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Act 1996 (3 of 1997), the Hon'ble Vice-Chancellor of the University is pleased to appoint Prof. Manoj Kumar, Dean, School of Law by rotation according to seniority as his nominee on the Executive Council of the University with immediate effect for a period of three years or completion of his tenure as Dean, whichever is earlier.

(Krishna Kumar Singh)

To

Prof. Manoj Kumar Dean, School of Law MGAHV, Wardha

### Copy for kind information and necessary action to:

- Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
- Joint secretary (CU), Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
- 3. Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002
- 4. Shri Vijay Kumar, Under Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
- 5. All Honble Members of the Executive Council
- 6. Office of the Hon'ble Vice-Chancellor
- 7. All Deans, HoDs, Directors & In-charge of Regional Centres
- 8. Estt. & Administration Department
- 9. University Website
- 10. Concerned file